

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक- 6ए0/वि02-106/2019-21(आ0)

पटना, दिनांक-27/04/26

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी

प्रशासन एवं एकाउंट विंग

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषय:- वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन) के अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित टोलों (25 टोलों) में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ मिनी पाईपड जलापूर्ति योजनाओं के रख-रखाव परिचालन हेतु राज्यांश मद से 12.93862 लाख रुपये (बारह लाख तिरानवे हजार आठ सौ बासठ रुपये) मात्र की राशि की विमुक्ति।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब -मिशन) अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में अर्सेनिक प्रभावित 25 टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के प्रावधान के साथ पाईपड जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं पांच वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक-6ए0/वि02-1021/17-2435 दिनांक-26.09.17 के द्वारा कुल रू0 1661.694 लाख (सोलह करोड़ एकसठ लाख उनहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा अधियाचना की गयी है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में वैशाली जिला अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ पाईपड जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में NRDWP के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से निम्न तालिका के अनुसार 12.93862 लाख रुपये (बारह लाख तिरानवे हजार आठ सौ बासठ रुपये) मात्र की राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	पत्रांक /दिनांक	राज्यांश मद की राशि	राज्यांश मद में अबतक विमुक्त राशि	विमुक्त राशि (लाख रुपये में)			
					सामान्य	अनु० जाति	कुल	शब्दों में
1	हाजीपुर	765 / 12.02.26	115.331	102.39238	10.00	2.93862	12.93862	बारह लाख तिरानवे हजार आठ सौ बासठ रुपये मात्र।

अनुरोध है कि राज्यांश मद में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को उक्त राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन



(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

(कार्य प्रबंधन)

1. प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
 - i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत राज्यांश मद में पी0एल0 खाता के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए ।
 - ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा ।
 - iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।
2. प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रतिलिपि-सचिव, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र-मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
6. प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-10 एवं 2/आई0टी0, मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी-6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/04/26

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

(कार्य प्रबंधन)